किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर में कमी किया जाना

1642. **सरदार जगजीत सिंह अरोरा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाढ़ के कारण कृषि उत्पादन में हुई भारी हानि एवं कृषि उत्पादन की लागत में निरंतर हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋणों पर वर्तमान ब्याज की दर में कमी करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो किसानों को दिए गए ऋणों की वर्तमान ब्याज दर क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन बैंकों द्वारा कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को भी कम ब्याज दर पर ऋण न दिए जाने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फैलोरियो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने कृषि ऋणों के वास्ते जो ब्याज दरें निर्धारित की हैं वे आमतौर पर उद्योगों के लिए दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दरों से कम हैं । हाल में अल्पावधि कृषि ऋणों के लिए ब्याज की दरों में बढ़ौती की गई है । 15,000/- रुपये तक के ऐसे ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज दरों में इस बढ़ौती का लाभ हुआ है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

अल्पावधिक कृषि ऋण	ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)	
	फरवरी, 1988 के अन्त तक	1-3-1988 से प्रभावी
5,000/- रुपये तक	11.5	10.0
5,000/- रुपये से अधिक तथा 7,500/- रुपये तक	12.5	10.0
7,500/- रुपये से अधिक तथा 10,000/- रुपये तक	12.5	11.5
10,000/- रुपये से अधिक तथा 15,000/- रुपये तक	12.5 से 14.0	11.5

लगातार तीन वर्ष अथवा उससे अधिक सूखे से प्रभावित किसानों के मामले में बैंकों से यह कहा गया है कि वे चालू वर्ष (जुलाई, 1987-जून, 1988) में मूलधन तथा ब्याज की देय धनराशियों की वसूली, दो वर्ष अथवा अगले सामान्य वर्ष तक यदि यह पहले ही स्थगित कर दें । बैंकों को ऐसे मामलों में न तो दण्डात्मक ब्याज लेना चाहिए और न ही उनसे स्थगित बकाया राशियों के ब्याज पर ब्याज लगाना चाहिये । इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा दिये गये अल्पावधिक ऋण के मामले में छोटे तथा सीमान्तिक किसानों द्वारा देय ब्याज की कुल रकम मूलधन से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

महाराष्ट्र कच्चा कपास (वसूली प्रसंस्करण और विपणन) अधिनियम, 1971 की अवधि का बढ़ाया जाना

1643. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :**
श्री प्रमोद महाजन :

क्या **वस्त्र** मंत्री 16 अगस्त, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2409 दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :